आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 06.01.2026 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में आयोजित प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही।

कार्यावली सं0– 01

प्राधिकार की गत बैठक दिनांक–27.11.2025 के कार्यवाही के अनुपालन पर विचार :–

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0–02

प्राधिकार की बैठक दिनांक –27.11.2025 के बाद निर्गत राष्ट्रीय परमिट का ब्यौरा :–

(क) राष्ट्रीय परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

(ख) कुल–**24** प्राधिकरण–पत्र निर्गत किए गये हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0–03

प्राधिकार की बैठक दिनांक–27.11.2025 के बाद निर्गत पीक अप भान/ट्रक के स्थाई परमिट/अस्थायी परमिट का ब्यौरा :–

(क) ट्रक/पीक अप भान का स्थाई परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0–04

प्राधिकार की बैठक दिनांक –27.11.2025 के बाद बस/मिनी बस/सिटी राईड आदि के निर्गत अस्थाई/विशेष परमिट का ब्यौरा :–

बस/मिनी बस/सिटी राईड के कुल–379 (दिनांक 05.01.2026 तक) विशेष परमिट निर्गत किए गए हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0–05.

प्राधिकार की बैठक दिनांक–27.11.2025 के बाद बस/मिनी बस/सिटी राईड आदि के स्थाई परमिट की स्वीकृति पर विचारः–

दिनांक–**05.01.2026** तक बस/मिनी बस के कुल–21 स्थायी परमिट की स्वीकृति पर विचार किया गयाः–

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
1	2	3	4	5	6	7
1	अशोक कुमार मिश्रा	BR11PD-8811 (बस) 06-12-2025 Cap-41	पूर्णिया से भागलपुर कुल खेप–02 कुल दूरी–340	05-12-2027 27-02-2026 03-12-2026 05-12-2026	आपत्ति अप्राप्त।	**स्वीकृत**
2	अशोक कुमार मिश्रा	BR11PD-9711 (बस) 05-12-2025 Cap-45	पूर्णिया से भागलपुर कुल खेप–03 कुल दूरी–510	04-12-2027 27-12-2026 03-12-2026 04-12-2026	आपत्ति अप्राप्त।	**स्वीकृत**
3	श्री मति पुष्पा देवी	BR50P-0225 (बस) 26-08-2025 Cap-41	पूर्णिया से सुपौल कुल खेप–02 कुल दूरी–488	28-08-2027 20-02-2026 21-08-2026 25-08-2026	आपत्ति अप्राप्त।	**स्वीकृत**
4	राज कुमार	BR11PC-9656 (बस) 25-05-2024 Cap-45	पूर्णिया से लोचाघाट कुल खेप–02 कुल दूरी–440	24-05-2026 23-02-2026 23-05-2026 15-05-2026	परमिट सं0–BR2025-SC-1570A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त	**वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रर्त्यापणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।**
5	राहुल कुमार	BR11PD-4644 (बस) 25-10-2025 Cap-45	पूर्णिया से बरबट्टा कुल खेप–03 कुल दूरी–450	24-10-2027 20-01-2026 20-10-2026 24-10-2026	आपत्ति अप्राप्त।	**स्वीकृत**
6	संजय कुमार चौधरी	BR11PB-6042 (बस) 12-03-2019 Cap-42	रूपौली से भागलपुर कुल खेप–01 कुल दूरी–240	24-03-2027 11-03-2026 05-03-2026 26-11-2026	परमिट सं0–BR2024-SC-1792A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त	**वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रर्त्यापणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।**
7	कल्याण कुमार	BR11PD-3489 (बस) 30-07-2025 Cap-41	पूर्णिया से रूपौली कुल खेप–04 कुल दूरी–424	29-07-2027 27-01-2026 27-07-2026 29-07-2026	आपत्ति अप्राप्त।	**स्वीकृत**

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
8	स्वीटी कुमारी	BR11PD-3639 (बस) 12-08-2025 Cap-41	पूर्णिया से रूपौली कुल खेप–04 कुल दूरी–424	11-08-2027 08-02-2026 10-08-2026 11-08-2026	आपत्तिकर्त्ता श्री स्वराज कुमार सिंह द्वारा एक अन्य वाहन सं0–BR11PC-7877 पूर्णिया प्रस्थान–19:05 इंगित करते हुए बिना किसी अनुमान्य शुल्क के आपत्ति दिया गया है। आवेदक का भी पूर्णिया प्रस्थान 19:05 है।	वाहन सं0–**BR11PC-7877** के वाहन स्वामी मोनिका कुमारी द्वारा किसी प्रकार का आपत्ति नहीं दिया गया हैं। आपत्ति वैद्य परमिट से सभी अधतन कागजात के साथ अनुमान्य आपत्ति शुल्क के साथ ही स्वीकार किये जाने का प्रावधान है। अनुमान्य आपत्ति शुल्क के अभाव में एवं वैद्य वाहन स्वामी के द्वारा आपत्ति नहीं दिये जाने के कारण आपत्ति निरस्त किया जाता हैं एवं परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाती हैं।
9	स्वीटी कुमारी	BR11PD-3640 (बस) 12-08-2025 Cap-41	पूर्णिया से रूपौली कुल खेप–04 कुल दूरी–424	11-08-2027 08-02-2026 10-08-2026 11-08-2026	(1) आपत्तिकर्त्ता श्री स्वराज कुमार सिंह द्वारा एक अन्य वाहन सं0–BR11PC-9970 रूपौली प्रस्थान–05:35 इंगित करते हुए रूपौली प्रस्थान–05:37 पर बिना किसी अनुमान्य शुल्क के आपत्ति दिया गया है। (2) वाहन सं0–BR11PD-2541 के वाहन स्वामी द्वारा अपने स्थायी परमिट सं0–BR2025-SC-1542A से पूर्णिया प्रस्थान–07:21 पर आपत्ति दिया गया हैं। जबकि आपत्तिकार्ता का पूर्णिया प्रस्थान–07:18 है।	(1) वाहन सं0–**BR11PC-9970** के वाहन स्वामी स्मिता द्वारा किसी प्रकार का आपत्ति नहीं दिया गया हैं। आपत्ति वैद्य परमिट से सभी अधतन कागजात के साथ अनुमान्य आपत्ति शुल्क के साथ ही स्वीकार किये जाने का प्रावधान है। अनुमान्य आपत्ति शुल्क के अभाव में एवं वैद्य वाहन स्वामी के द्वारा आपत्ति नहीं दिये जाने के कारण आपत्ति निरस्त किया जाता हैं। (2) दानों वाहन का परिचालन मार्ग रूपौली से पूर्णिया है। मुख्य प्रस्थान बिन्दु पूर्णिया पर मात्र 03 मिनट का समय अंतराल रखा गया हैं। आवेदक को पूर्णिया प्रस्थान बिन्दु–04 मिनट आगे एवं 04 मिनट पीछे का समय अंतराल रखते हुए संशोधित समय–सारणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता हैं। जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाऐगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के आगामी बैठक में रखा जाएगा। वाहन सं0–**BR11PD-3640** के दुघर्टनाग्रस्त हाने के उपरांत थाना में गाड़ी जब्त होने का मामला प्राधिकार के संज्ञान में आया हैं। अतएव कानूनी प्रक्रिया पूर्ण हाने के उपरांत ही उक्त वाहन का परमिट निर्गमन किया जाय।

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
10	स्मिता	BR11PD-1634 (बस) 19-12-2024 Cap-41	पूर्णिया से रूपौली कुल खेप–03 कुल दूरी–330	18-02-2026 08-03-2026 18-12-2026 26-12-2026	परमिट सं0–BR2025-SC-1570A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त।	**वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रर्त्यापणोपरांत परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाती है।**
11	निलेश कुमार चौधरी	BR11PD-2222 (बस) 23-06-2025 Cap-41	पूर्णिया से रूपौली कुल खेप–04 कुल दूरी–440	22-06-2027 25-12-2025 01-04-2026 22-06-2026	(1) आपत्तिकर्त्ता के अनुसार वाहन सं0–BR11Y-7777 का रूपौली प्रस्थान–06:25 हैं जबकि आवेदक का रूपौली प्रस्थान–06:27 हैं। (2) वाहन सं0–BR10PA-7250 के वाहन स्वामी द्वारा अपने स्थायी परमिट सं0–BR2022-SC-0582A से रूपौली प्रस्थान–10:48 पर आपत्ति दिय गया हैं। आपत्तिकर्त्ता का रूपौली प्रस्थान–10:47 हैं।	(1) वाहन सं0–**BR11Y-7777** का रूपौली प्रस्थान–06:10 है जबकि आवेदक का 06:27 हैं। दोनों वाहन के परिचालन समय में पर्याप्त समय अंतराल हैं। वाहन सं0–**BR11Y-7777** के वाहन स्वामी श्री निलेश कुमार चौधरी के द्वारा आपत्ति नहीं दिया गया हैं। आपत्तिकर्त्ता श्री स्वराज कुमार सिंह द्वारा आपत्ति के साथ अनुमान्य आपत्ति शुल्क नहीं दिया गया है। अतएव आपत्ति निरस्त किया जाता है। (2) आपत्तिकर्त्ता श्री स्वराज कुमार सिंह द्वारा अपने एक आवेदन में अनेक आपत्तियों का उल्लेख करते हुए मात्र एक हजार का चलान जमा किया गया हैं जो वाहन सं0–**BR11T6403** के पक्ष में है। जिसकी सुनवाई इस कार्यवाही के कार्यावली सं0–5(क) 14 में की गई हैं। आपत्तिकर्त्ता द्वारा अपने वाहन के वैद्य परमिट से अलग–अलग मान्य शुल्क के साथ आपत्ति दिया जाना आवश्यक है। इसकी सूचना आपत्तिकर्त्ता को कार्यालय पत्रांक–1402 दिनांक–23.12.2025 द्वारा दिया गया है परन्तु तय समय में उनके द्वारा आपत्ति शुल्क जमा नहीं किया गया। आपत्ति शुल्क जमा नहीं होने से सरकारी राजस्व का भी नुकसान होगा। आपत्तिकर्त्ता के वाहन सं0–**BR10PA-7250** का फिटनेश का वैद्य प्रमाण पत्र नहीं हैं। आपत्तिकर्त्ता का कहना हैं कि भागलपुर में गत 6 महिनों से फिटनेश प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा हैं। इस पर कोर्ट द्वारा रोक लगाया गया हैं तथा आपत्तिकर्त्ता द्वारा अनुमान्य शुल्क भी जमा नहीं किया गया हैं। नियमतः आपत्तिकर्त्ता द्वारा जिस वाहन से आपत्ति दी गई हैं उसका परमिट, फिटनेश, टैक्स, बीमा, प्रदूषण, **VLTD,** का अद्यतन रहना आवश्यक हैं। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह निर्णय लिया जाता हैं कि आपत्तिकर्त्ता यदि तीन दिनों के अंदर आपत्ति शुल्क जमा कर देते है तो उन्हें अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण पत्र बनाने हेतु दो सप्ताह का समय जाएगा। यदि दो सप्ताह के अंदर फिटनेश प्रमाण पत्र जमा कर देगें तो आवेदक को प्राधिकार के नये नियम अनुसार संशोधित समय–सारणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाएगा। अन्यथा आपत्ति अस्वीकृत करते हुए परमिट निर्गमन की कार्रवाई की जाय।

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
12	कुमार राज	BR11PC-8637 (बस) 09-11-2023 Cap-41	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप–04 कुल दूरी–440	11-12-2027 07-02-2026 29-12-2025 05-12-2026	परमिट सं0–BR2025-SC-1472A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यार्पणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
13	निलेश कुमार चौधरी	BR11RA-9090 (बस) 17-03-2025 Cap-41	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप–04 कुल दूरी–440	16-03-2027 09-03-2026 04-03-2026 16-03-2026	(1) वाहन सं0–BR19D-0113 के वाहन स्वामी श्री स्वराज कुमार सिंह अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0– BR2021-SC-1536A से रूपौली प्रस्थान–15:20 पर आपत्ति दी गई हैं। जबकि आपत्तिकर्त्ता का रूपौली प्रस्थान–15:18 हैं। (2) वाहन सं0–BR10PA-7250 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0–BR2022-SC-582A से पूर्णिया प्रस्थान–17:24 पर आपत्ति दी गई हैं। जबकि आपत्तिकर्ता का पूर्णिया प्रस्थान–17:25 है।	दोनों वाहन का परिचालन मार्ग रूपौली से पूर्णिया हैं। रूपौली प्रस्थान बिन्दु हैं जहाँ न्यूनतम 4 मिनट का समय अंतराल रखा जाना है। (1) आपत्तिकर्त्ता द्वारा अपने एक आवेदन में अनेक आपत्ति का उल्लेख करते हुए मात्र एक हजार का चलान जमा किया गया हैं जो वाहन सं0–**BR11T6403** के पक्ष में है। यह नियम संगत नहीं हैं। आपत्तिकर्ता द्वारा अपने वाहन के वैद्य परमिट से अलग–अलग मान्य शुल्क के साथ आपत्ति दिया जाना आवश्यक है। इसकी सूचना आपत्तिकर्त्ता को कार्यालय पत्रांक–1402 दिनांक–23.12.2025 द्वारा दिया गया है परन्तु तय समय में उनके द्वारा आपत्ति शुल्क जमा नहीं किया गया। आपत्तिकर्त्ता यदि तीन दिनों के अंदर आपत्ति शुल्क जमा कर देते है तो आवेदक को प्राधिकार के नये नियमानुसार 04 मिनट आगे एवं 04 मिनट पिछे का समय–अंतराल रखते हुए संशोधित समय प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाएगा। अन्यथा आपत्ति का निरस्त कर दिया जाय। (2) आपत्तिकर्त्ता के वाहन सं0–**BR10PA-7250** का फिटनेश का वैद्य प्रमाण पत्र नहीं हैं। आपत्तिकर्ता का कहना हैं कि भागलपुर में गत 6 महिनों से फिटनेश प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा हैं। इस पर कोर्ट द्वारा रोक लगाया गया हैं तथा आपत्तिकर्त्ता द्वारा अनुमान्य शुल्क भी जमा नहीं किया गया हैं। नियमतः आपत्तिकर्त्ता द्वारा जिस वाहन से आपत्ति दी गई हैं उसका परमिट, फिटनेश, टैक्स, बीमा, प्रदूषण, **VLTD,** का अद्यतन रहना आवश्यक हैं। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह निर्णय लिया जाता हैं कि आपत्तिकर्त्ता यदि तीन दिनों के अंदर आपत्ति शुल्क जमा कर देते है तो उन्हें अपने वाहन का फिटनेश प्रमाण पत्र बनाने हेतु दो सप्ताह का समय जाएगा। यदि दो सप्ताह के अंदर फिटनेश प्रमाण पत्र जमा कर देगें तो आवेदक को प्राधिकार के नये नियम अनुसार संशोधित समय–सारणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाएगा। अन्यथा आपत्ति अस्वीकृत करते हुए परमिट निर्गमन की कार्रवाई की जाय।

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
14	दिवाकर कुमार	BR11T-7377 (बस) 25-05-2015 Cap-43	पूर्णिया से रूपौली कुल खेप–03 कुल दूरी–330	19-03-2026 19-01-2026 16-12-2026 19-11-2026	वाहन सं0–BR11T-6403 के वाहन स्वामी श्री स्वराज कुमार सिंह द्वारा अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0–BR2021-SC-1601A से पूर्णिया प्रस्थान–12:55 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्त्ता का पूर्णिया प्रस्थान–11:55 है।	दोनों वाहन के प्रस्थान समय में एक घंटे का पर्याप्त समय अंतराल हैं। इसलिए आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं हैं। परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाती है।
15	लक्ष्मी देवी	BR11T-6739 (बस) 28-01-2015 Cap-41	कटिहार से किशनगंज कुल खेप–02 कुल दूरी–304	26-02-2026 23-01-2026 20-02-2026 19-09-2026	परमिट सं0–BR2024-SC-0845A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यार्पणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
16	स्मिता	BR11T-4060 (बस) 04-07-2014 Cap-41	किशनगंज से फतेहपुर कुल खेप–01 कुल दूरी–240	07-10-2026 24-03-2026 05-10-2026 03-10-2026	परमिट सं0–BR2023-SC-3317A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यार्पणोपरांत परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि के बाद परमिट वैद्य नहीं माना जाएगा।
17	हृदय नारायाण यादव	BR39K-6481 (बस) 22-10-2013 Cap-41	मोहनपुर से पूर्णिया कुल खेप–01 कुल दूरी–116	06-08-2026 21-01-2026 14-02-2026 31-07-2026	परमिट सं0–BR2020-SC-0478A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यार्पणोपरांत परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो उक्त तिथि के बाद परमिट वैद्य नहीं माना जाऐगा।
18	अजय कुमार	BR11PC-9694 (बस) 31-05-2024 Cap-41	अबादपुर से पूर्णिया कुल खेप–02 कुल दूरी–296	30-05-2026 24-02-2026 26-05-2026 30-05-2026	परमिट सं0–BR2025-SC-2070A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त।	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यार्पणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
19	महावीर प्रसाद यादव	BR11PC-6073 (बस) 19-04-2021 Cap-45	कटिहार से फॉरबिसगंज कुल खेप–01 कुल दूरी–230	08-09-2027 15-01-2026 26-04-2026 07-06-2026	वाहन सं0–BR11PC–2985 के वाहन स्वामी अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0–BR2020-SC-0635A का नवीकरण करने हेतु आवेदन समर्पित की गई है। उक्त परमिट की वैधता दिनांक–30.12.2025 तक था।	**वाहन स्वामी के अनुरोध पर परमिट सं0–BR2020-SC-0635A के नवीकरण की स्वीकृति दी जाती है।**
20	बी.एस.आर.टी.सी.	BR01PF-1209 (बस) 04-09-2014 Cap-41	भागलपुर से पूर्णिया कुल खेप–2 कुल दूरी–170	16-11-2026 31-12-2025 NA 06-10-2026	क्षेत्रीय प्रबंधक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पूर्णिया कार्यालय पत्रांक–838 दिनांक–22.12.2025 द्वारा लोक निजी भागीदारी योजना के तहत पूर्णिया प्रमंडल अंतर्गत निगम के नियंत्राणाधीन पूर्णिया भागलपूर मार्ग पर 15 मिनट के अंतराल पर बसों के परिचालन हेतु एकरारनामा का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, भागलपुर द्वारा NOC नहीं लेने संबंधी आपत्ति दी गई हैं।	**क्षेत्रीय प्रबंधक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, भागलपुर यदि नियमानुसार एक सप्ताह के अंदर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम कार्यालय, पूर्णिया से विधिवत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में समर्पित करते है तो परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाय।**
21	बी.एस.आर.टी.सी.	BR10PC-2501 (बस) 06-03-2025 Cap-41	जोगबनी से भागलपुर कुल खेप–1 कुल दूरी–320	05-03-2027 05-03-2026 NA 05-03-2026	क्षेत्रीय प्रबंधक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, भागलपुर द्वारा वाहन सं0–BR110PC-2501 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0–BR2025SC-1026A के समय–सारणी में अररिया स्टैण्ड आगमन–11:50, 15:25 एवं प्रस्थान–11:55, 15:30 तथा अररिया जिरो माईल आगमन–11:30,15:40 तथा प्रस्थान–11:40, 15:50 से परमिट संशोधित करने हेतु मान्य शुल्क के साथ आवेदन दिया गया है। आपत्ति अप्राप्त।	स्वीकृत

कार्यावली सं0–05 (ख).

प्राधिकार की बैठक दिनांक 27.11.2025 के बाद बस/मिनी बस/सिटी राईड आदि के परमिट प्रतिहस्ताक्षर की स्वीकृति पर विचारः–

बस/मिनी बस के कुल–01 स्थायी परमिट प्रतिहस्ताक्षर की स्वीकृति पर विचार किया गया :–

क्र0 स0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0/ वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	परमिट सं0	आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
01.	रिन्कु कुमार यादव	BR19P-5905 (बस) 18-10-2025 Cap- 41	सोनवर्षा से किशनगंज कुल खेप–02 कुल दूरी–410	BR2025-SC-3146A क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार सहरसा से निर्गत।	अप्राप्त	स्वीकृत।

कार्यावली सं0–05 (ग).

कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित समय–सारणी पर बिना किसी मान्य आपत्ति शुल्क एवं अद्यतन कागजात के आपत्ति दिया जाता है जबकि आपत्तिकर्ता को परमिट से आवृत्त वाहनों से ही आपत्ति दर्ज किया जाना है तथा आपत्ति दर्ज करते समय संबंधित वाहनों के सभी मान्य कागजात यथा टैक्स, बीमा, फिटनेश, प्रदूषण, भी0एल0टी0डी0 (VLTD) आदि का अद्यतन रहना आवश्यक है।

निर्णय :– प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी अद्यतन कागजात एवं मान्य आपत्ति शुल्क के साथ दर्ज आपत्ति ही स्वीकार किया जाएगा। बिना मान्य आपत्ति शुल्क के आपत्ति को अस्वीकार करते हुए कार्यवाही/एजेंडा में नहीं लिया जाएगा तथा टैक्स, फिटनेश, बीमा, प्रदूषण, VLTD आदि अद्यतन नहीं रहने पर आपत्ति निरस्त करते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988, तथा बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के सुसंगत नियमों के तहत प्राधिकार द्वारा दंड अधिरोपित किया जाएगा।

कार्यावली सं0–05 (घ).

दिनांक– 22.05.2025 को 12:30 अपराह्न में आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही के कार्यावली सं0 5(क) में पूर्णिया रूपौली मार्ग पर परिचालित वाहनों के वाहन स्वामी की समस्याओं के समाधान हेतु संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया की अध्यक्षता में जॉच समिति का गठन किया गया था। उक्त जॉच समिति द्वारा उक्त मार्ग पर परिचालित वाहन के वाहन स्वामियों के साथ विभिन्न तिथि को बैठक आयोजित किया गया। वाहन स्वामियों एवं कार्यालय में उपलब्ध साक्ष्य एवं कागजात के अवलोकनोंपरांत जॉच समिति कार्यालय पत्रांक–1254 दिनांक–27.11.2025 द्वारा जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिसमें वाहन सं0–BR11T7377, BR10PA-7250, BR11PC-7877 के वाहन स्वामी, श्री दिवाकर कुमार, श्री आजाद कुमार सिंह एवं श्रीमती मोनिका कुमारी के मध्य आपसी विवाद के कारण एक दुसरे के पहले वाले समय पर परमिट हेतु बार–बार कार्यालय में आवेदन समर्पित किये जाने एवं प्राधिकार द्वारा बनाये गये नियमों का वाहन स्वामी द्वारा शतप्रतिशत अनुपालन नही किये जाने के कारण प्रकाशित समय–सारणी पर बार–बार आपत्ति प्राप्त होने के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही प्राधिकार द्वारा परमिट निर्गमन में निम्न बिन्दुओं का अनुपालन करवाने का अनुशंसा की गई है:–

(1.) वाहन संख्या–BR11T-7377, BR10PA-7250, BR11PC-7877 के वाहन स्वामी को निदेश दिया जाय कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित अद्यतन नियमों के तहत संशोधित समय–सारणी के साथ परमिट हेतु आवेदन समर्पित करेंगें।

(2.) उक्त मार्ग पर विचारण अवधि के विलंब शुल्क को क्षांत कर नये परमिट हेतु आवेदन स्वीकार किया जाय।

(3.) **प्रारंभिक / मुख्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अंतरालः–**

(i) 15 या उससे उपर बस परिचालन मार्ग पर किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन का परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन के प्रस्थान समय से पहले न्यूनतम 04 मिनट तथा बाद में न्यूनतम 04 मिनट का समय अंतराल रखा जाय।

(ii) 10–14 बस परिचालन मार्ग पर किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन का परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन के प्रस्थान समय से पहले न्यूनतम 07 मिनट तथा बाद में न्यूनतम 05 मिनट का समय अंतराल रखा जाय।

(iii) 05–09 बस परिचालन मार्ग पर किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन का परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन के प्रस्थान समय से पहले न्यूनतम 15 मिनट तथा बाद में न्यूनतम 07 मिनट का समय अंतराल रखा जाय।

(iv) 0–04 बस परिचालन मार्ग पर किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन का परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन के प्रस्थान समय से पहले न्यूनतम 30 मिनट एवं बाद में न्यूनतम 15 मिनट का समय अंतराल रखा जाय।

(4.) **मध्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अंतरालः–**

15 या उससे अधिक बस परिचालित मार्ग पर किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन का परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन के प्रस्थान पर न्यूनतम–02 मिनट का समय अंतराल रखा जाय एवं अन्य मार्ग पर न्यूनतम 03 मिनट का समय अंतराल रखा जाय।

(5.) **Overlapping of Route:–** जब एक मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है, दुसरे मार्ग के परमिट धारक आपत्ति दर्ज कराकर परमिट का विरोध करते है। जब एक मार्ग दुसरे मार्ग से भिन्न हो एवं दुसरे मार्ग को 60 प्रतिशत से अधिक मार्ग दुरी आच्छादित करता हो तब ही आपत्ति स्वीकार किया जाय। 60 प्रतिशत से कम दूरी अच्छादित होने पर आपत्ति स्वीकार न किया जाय।

(6.) स्टेज कैरेज परमिट हेतु आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किया जाय। वेबसाइट में तकनीकि समस्या या विशेष परिस्थिति में ही सभी अनुमान्य कागजात एवं चलान (शुल्क राशि) के साथ ऑफलाइन आवेदन कार्यालय कॉउटर पर जमा करवाया जाय।

(7.) वाहन स्वामियों के आपसी टकराव को कम करने हेतु जिस मार्ग पर परमिट निर्गत किया गया हो उस मार्ग पर पुनः उसी वाहन का आवेदन हेतु कम से कम छह महीनें का समय अंतराल रखा जाय।

(8.) उपर्युक्त सभी नियम नये आवेदनों पर प्रभावी किया जाय।

(9.) प्रत्येक माह के 12वीं तारीख तक कार्यालय में नये परमिट हेतु आवेदन प्राप्त करने तथा अगले 7 दिन में यथा 19वी तारीख तक आपत्ति प्राप्त करने हेतु तिथि निर्धारित किया जाता है।

(10.) आवेदक परमिट आवेदन के साथ विभाग / राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में शपथ–पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगें।

निर्णय :– **उपर्युक्त अनुशंसित नियमों का अनुपालन करते हुए परमिट हेतु आवेदन प्राप्त की जाय।**

<u>कार्यावली सं0–05(ड़)</u>

वाहन सं0–BR50P-5625 के वाहन स्वामी श्री स्वराज कुमार सिंह द्वारा वाहन सं0–BR11M-5579 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0–BR2025-SC-2571A के समय–सारणी में टकराहट के कारण परमिट रद्द करने का अनुरोध किया है।

निर्णयः– **दिनांक–28.08.2025 को आयोजित प्राधिकार के कार्यवाही के कार्यावली सं0–5(14) पर लिये निर्णय के आलोक में वाहन सं0–BR11G-1265 का उम्र सीमा 15 वर्ष से अधिक हो जाने के कारण वाहन स्वामी के अनुरोध पर उक्त वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0–BR2023-SC-2632A में**

से प्रतिस्थपित करने, परमिट नवीकरण में समय–सारणी प्रकाशित कर आपत्ति की मांग नहीं किये जाने का प्रचलन है। श्री स्वराज कुमार सिंह के वाहन सं0–**BR50P-5625** का परमिट दिनांक–07.02.2025 को परमिट निर्गमन किया गया है। उस समय वाहन सं0–**BR11G1265** के पक्ष में निर्गत परमिट का उम्र सीमा 15 वर्ष से अधिक हो जाने के कारण वाहन स्वामी द्वारा संभवतः आपत्ति नहीं दिया गया होगा। जिस कारण कतिपय बिन्दुओं पर दोनों वाहन का प्रस्थान समय समान हो गया हैं और कतिपय बिन्दुओं पर प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय अंतराल का अनुपालन नहीं हो पाया है। वाहन सं0–**BR11M-5579** द्वारा चूकि निर्धारित समय अवधि के अंदर स्थायी परमिट सं0–**BR2023-SC-2632A** में अंकित समय–सारणी का प्रतिस्थापन नहीं कराया गया था इसलिए वाहन सं0–**BR11M5579** के वाहन स्वामी को निदेश दिया जाता हैं कि ऐसे सभी बिन्दुओं को चिन्हित कर एक सप्ताह के अंदर परमिट के संशोधन हेतु मान्य शुल्क के साथ संशोधित समय–सारणी प्रस्तुत करेंगे। जिसका प्रकाशन एक सप्ताह हेतु कार्यालय के सूचना पट्ट पर किया जाएगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट संशोधन की स्वीकृति दी जाएगी तथा आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के आगामी बैठक में सुनवाई हेतु रखा जाएगा।

कार्यावली सं0–05(च)

ऑटो / टैक्सी परमिट निर्गमनः–

वर्त्तमान में RTA के Login में Auto/Taxi के कुल–381 आवेदन परमिट हेतु लंबित है, जिसका परमिट शुल्क डीलर प्वाइंट से online के द्वारा DTO के Login Head में जमा है, परन्तु परमिट निर्गमन हेतु RTA के Login में लंबित प्रदर्शित हो रहा हैं। सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना कार्यालय पत्रांक–10434 दिनांक–31.12.2025 द्वारा ऐसे मामलें में जिला परिवहन कार्यालय से स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त कर पूर्णतः संतुष्ट होकर अपने स्तर से लंबित परमिट के आवेदनों को निष्पादित करते हुए विभाग को प्रतिवेदित करने का अनुरोध किया हैं।

निर्णय :– सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया उक्त परिवहन विभागीय निदेशों का अनुपालन करते हुए कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यावली सं0–06

बिहार मोटरयान नियमावली, 1992 के नियम–101 के तहत प्राप्त एंजेन्ट अनुज्ञप्ति आवेदन का व्यौराः–

क्र0 सं0	आवेदक का नाम एवं पता	आधार संख्या	शुल्क / चलान तिथि	चरित्र प्रमाण–पत्र	अभ्युक्ति	निर्णय
1.	मो० सादिक हुसैन पिता– स्व0 अजाले करीम ग्राम– चहटपुर, पो0+थाना– पलासी जिला– अररिया।	676585264987	4450 / 28.11.2025	पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र सं0–BCHC/2025/1675852 दिनांक–27.11.2025.	पलासी बस स्टेण्ड, जिला–अररिया हेतु।	**स्वीकृत**
02	रमेश राय पिता– स्व0 पंचलाल राय ग्राम–लालगंज, पो0–ढोलबज्जा, थाना–रूपौली जिला–पूर्णिया।	336562711799	4450 / 29.12.2025	पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र सं0–BCHC/2025/1650656 दिनांक–27.11.2025.	विजय लालगंज बस स्टेण्ड, जिला–पूर्णिया हेतु।	**स्वीकृत**

कार्यावली सं0—07.

प्राधिकार की बैठक दिनांक— 27.11.2025 के बाद जीप/ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के निर्गत स्थायी/अस्थायी परमिट का ब्यौराः—

(क) जीप एवं सदृश्य वाहनों के कोई स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

(ख) ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के कुल—44 स्थायी परमिट निर्गत किया गया है।

(ग) ट्रैक्टर ट्रैलर के स्थायी/नवीकरण परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

(घ) ट्रक/पी भान के कोई अस्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

(रवि राकेश)
अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया
—सह—सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।

(अवधेश कुमार आनंद)
संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।

07.11.2026.
(राजेश कुमार)
आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल,
—सह—अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार

कार्यावली सं0–07.

प्राधिकार की बैठक दिनांक– 27.11.2025 के बाद जीप/ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के निर्गत स्थायी/अस्थायी परमिट का ब्यौरा:–

(क) जीप एवं सदृश्य वाहनों के कोई स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

(ख) ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के कुल–44 स्थायी परमिट निर्गत किया गया है।

(ग) ट्रैक्टर ट्रैलर के स्थायी/नवीकरण परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

(घ) ट्रक/पी भान के कोई अस्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

07/01/26
(रवि राकेश)
अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया
–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।

07/01/26
(अवधेश कुमार आनंद)
संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।

Rajesh K.
07/1/2026.
(राजेश कुमार)
आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल,
–सह–अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार

ज्ञापांक 10 दिनांक 07-01-2026

प्रतिलिपि:– 01. राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– 02. अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य, क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकार पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– 03. जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07/01/26
(अवधेश कुमार आनंद)
संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।